न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08 / 23 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या : 146 / 17

GCMS NO : 2023/00058

श्री पेमा पिता श्री गणेश जी चमार, निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्री गलबा पिता श्री गोपा जी मेघवाल, निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री परथा पिता श्री गोपा जी मेघवाल, निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती डालीबाई बेवा श्री केसा जी मेघवाल, , निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री नाना पिता श्री गणेश जी चमार, , निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमान् तहसीलदार साहब गिर्वा उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री कृपाशंकर मेघवाल, अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 03.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व मौजा नाई तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौरूसी कृषि भूमि स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 204, 205 पुराना 75, 79 होकर साबिक आराजी नम्बर 1327, 1329, 1328, 1327 मीन, 1328 मीन, 1333, 1332 मीन है। उक्त साबिक आराजीयात के हाल आराजी नम्बर 2225 रकबा 0.2000 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2231 रकबा 0.02000 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.0350 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2233 रकबा 0.0800 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.3350 हैक्टयर है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या नये 205 व पुराने 79 की आराजीयात आराजी नम्बर 2213 रकबा 0.1150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2214 रकबा 0.0500 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2215 रकबा 0.1350 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2216 रकबा 0.1500 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2217 रकबा 0.1100 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.5600 हैक्टयर है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादपत्र में अंकित सजरे अनुसार मुल पुरूष गणेशजी पिता भेरा जी थे जिनके तीन लड़के पैदा हुये जिसमें ज्येष्ठ पुत्र जोता लाऔलाद फौत हो गये तथा नाना व पेमा जीवित होकर वादी स्वंय पेमा है। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 की मौरूसी सम्पति होकर मूल पुरूष श्री गणेश जी वल्द भेरा जी चमार के खातेदारी एवं आधिपत्य की होकर जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट सवत् 1993 में उनके नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। श्री गणेश जी के फौत होने के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात पर श्री जोता, नाना, पेमा व गणेश जी की पत्नी वरजू बाई बतौर मालिक व वारिस काबिज हुये और शान्तिपूर्वक काश्त करते रहे। कुछ समय पश्चात् वरजू बाई फौत हो गयी तथा जोता जी भी लाऔलाद फौत हो गये और उसके बाद पेमा, नाना व इनके वारिसान वादी आदि का मौके पर आधिपतय चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार श्री गणेश जी की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त आराजीयात को श्री पेमा, नाना व जोता, के नाम पर जरिये नामान्तरण के नामान्तरित की गई तत्पश्चात् उक्त आराजीयात को गलत तरिके से नाथू पिता चतरा के नाम पर उनकी मृत्युपरान्त फर्जी तरीके से सभी वादग्रस्त आराजीयात को नामान्तरित कर दिया गया जबकि श्री गणेश जी पिता भेरा जी द्वारा कभी भी उक्त आराजीयात के न तो नाथू पिता चतरा को विक्रय की गई और न ही अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रय की गई इसके बावजूद उपरोक्त आराजीयात का फर्जी तरिके से नामान्तरण कर प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 के नाम पर खाते में दर्ज कर दी गई है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बेह, बक्षीश या अन्य किसी भी तरीके से अन्तरित नहीं करे तथा वादी के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को पर्याप्त असवर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 25.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब पेश नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य PW1 पेमा पिता श्री गणेश जी चमार का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम नाई की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 है, मेवाड़ सेटलमेन्ट पर्चा खतौनी प्रदर्श–3 है, मिलान खसरा प्रदर्श–4, नमान्तरण पंजिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5 से प्रदर्श 8 है, जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 9 है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण सीधे बहस हेतु नियत किया गया।

विद्वान वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 की मौरूसी सम्पति होने से उनके पूर्वाधिकारी श्री गणेश जी वल्द भेरा जी चमार के नाम जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट सवत् 1993 में खातेदारी हक से दर्ज थी। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार श्री गणेश जी की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजीयात को पेमा, नाना व जोता, के नाम पर जरिये नामान्तरण के नामान्तरित की गई तत्पश्चात् सम्पूर्ण आराजीयात को गलत तरिके से नाथू पिता चतरा के नाम पर उनकी मृत्युपरान्त फर्जी तरीके से सभी वादग्रस्त आराजीयात को नामान्तरित कर दिया गया जबकि श्री गणेश जी पिता भेरा जी द्वारा कभी भी उक्त आराजीयात के न तो नाथू पिता चतरा को विक्रय की गई और न ही अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रय की गई। जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादग्रस्त आराजीयात की अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी है।

वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में महक्मह बन्दोबस्त राज्य मेवाड, उदयपुर की जमाबन्दी प्रदर्श 3 पेश की है जिसमें वादग्रस्त साबिक आराजीयात 1327, 1328, 1329, 1332, 1333 पूर्व में गणेशा वल्द भेरा चमार के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त साबिक वादग्रस्त आराजीयात के हाल नम्बर 2225, 2231, 2232, 2233, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217 बने जो प्रदर्श 4 मिलान खसरा के अवलोकन से सुस्प्ट है। वादग्रस्त साबिक आराजीयात का नामन्तरण विरासत से गणेश पिता भेरा चमार के बजाय उसके वारिसान जोता, नाना, पेमा के नाम नमान्तरण [illegible] से इन्द्राज हुआ है, जो प्रदर्श–5

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

है। हमने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसके अनुसार जेता, नाना, पेमा पिता गणेश चमार द्वारा वादग्रस्त साबिक आराजीयात 1327, 1328 व 1329 का बेचान गोपा पिता टेका को तथा साबिक आराजीयात 1332 व 1333 का बेचान नाथू पिता चतरा के पक्ष मे किया जाना अंकित है। उक्त बेचाननामा के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027 खाता संख्या 96 में वादग्रस्त साबिक आराजीयात 1327, 1328 व 1329 गोपा पिता टेका के नाम तथा साबिक आराजीयात 1332 व 1333 नाथु पिता चतरा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त साबिक आराजीयात पूर्व में गणेश वल्द भेरा चमार के नाम दर्ज थी। गणेश वल्द भेरा का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान जोता, नाना व पेमा के नाम विरासत से दर्ज हुई। आराजी नम्बर 1327, 1328, 1329 जो बेचान से गणेश वल्द भेरा के वारिसन जेता, नाना व पेमा के बजाय गोपा पिता टेका के पक्ष में किया जो नामान्तरण संख्या 62 से साबित हुआ है। गणेश वल्द भेरा के वारिसान जोता, नाना पेमा द्वारा वादग्रस्त साबिक आराजीयात का बेचान किया गया। वादी द्वारा वादी एवं उनके पूर्वजों द्वारा उक्त बेचान को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। न्यायालय का मानना है कि वादी द्वारा उक्त भूमि का बेचान करने के बाद उस पर उनके अधिकार नियत नहीं है। उसके बाद पुनः उसी आराजीयात का वाद दायर कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है, जो न्याय संगत नहीं है। वादी ने अपन वाद के सम्बन्ध में ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य ग्वाह सबूत पेश नहीं किए जिससे उनका वाद सिद्ध होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई ठोस आधार साबित नहीं होने से वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 8/23 सन 2024 अनवान श्री पेमा पिता श्री गणेश जी चमार, निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री गलबा पिता श्री गोपा जी मेघवाल, निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (2) श्री परथा पिता श्री गोपा जी मेघवाल, निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (3) श्रीमती डालीबाई बेवा श्री केसा जी मेघवाल, , निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (4) श्री नाना पिता श्री गणेश जी चमार, , निवासी – ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (5) श्रीमान् तहसीलदार साहब गिर्वा उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री कृपाशंकर मेघवाल अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested